

248750 - क्या क़ज़ा व क़दर के बीच कोई अंतर पाया जाता है?

प्रश्न

क़ज़ा व क़दर के अध्याय में और दोनों के बीच अंतर करने के बारे में, विद्वानों का कहना है कि : उन दोनों के बारे में मतभेद पाया जाता है। चुनाँचे कुछ विद्वानों ने क़ज़ा की व्याख्या क़दर से की है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि : क़ज़ा, क़दर के अलावा दूसरी चीज़ है। अतः यहाँ मेरा प्रश्न यह है कि : क्या कोई कथन ऐसा है जिसके आधार पर दोनों में से एक को दूसरे पर प्राथमिकता दी जा सकती है? यदि दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता दी जाती है तो उस का प्रमाण क्या है? और दोनों में से पहले कौन है क़ज़ा अथवा क़दर?

विस्तृत उत्तर

कुछ उलमा (विद्वान) इस बात की ओर गए हैं कि क़ज़ा और क़दर दोनों पर्यायवाची (समान अर्थ व्यक्त करने वाले) शब्द हैं।

यह कथन “भाषा” के कुछ उन विशेषज्ञों के कथन के अनुकूल है जिन्होंने क़दर की व्याख्या क़ज़ा से की है।

अरबी भाषा के शब्दकोश के विशेषज्ञ फिरोज़ाबादी की “अल-कामूसुल मुहीत” (पृष्ठ संख्या : 591) में आया है :

“क़दर : क़ज़ा और फैसला।” समाप्त हुआ।

तथा शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह से सवाल किया गया कि : क़ज़ा और क़दर के बीच क्या अंतर है?

तो शैख ने जवाब दिया : “क़ज़ा और क़दर एक ही चीज़ हैं। वह चीज़ जिस का फैसला अल्लाह ने पहले ही कर दिया है तथा जिसे उसने पहले ही अनुमानित कर दिया है, उसे क़ज़ा कहा जाता है और उसे क़दर भी कहा जाता है।”

[शैख की वेबसाइट से समाप्त हुआ।](#)

तथा कुछ दूसरे उलमा इस तरफ गये हैं कि इन दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। चुनाँचे कुछ उलमा इस ओर गए हैं कि क़ज़ा, क़द्र से पहले है। क़ज़ा वह है जिसका अल्लाह को अनादिकाल ही से ज्ञान है और उसका अल्लाह ने फैसला कर दिया है। तथा क़दर उसी ज्ञान और फैसले के मुताबिक़ मखलूकात का अस्तित्व में आना है।

हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह “फत्हुल बारी” (11/477) में लिखते हैं : “विद्वानों का कहना है : अनादिकाल में कुल सकल (सार रूप से सार्विक) फैसले को क़ज़ा कहा जाता है, तथा उस फैसले के विवरण और उस के विस्तार को क़दर कहते हैं।” समाप्त हुआ।

तथा एक और स्थान (11/149) पर कहते हैं : “अनादिकाल में सार (संक्षेप) रूप से समग्र व सार्विक फैसला क़ज़ा कहलाता है, और उन्हीं समग्रता के अंशों का विस्तार रूप से घटित होने का फैसला क़दर कहलाता है।” समाप्त हुआ।

शैख जुरजानी रहिमहुल्लाह “अत-तारीफात” (पृष्ठ संख्या :174) में लिखते हैं : “क़ज़ा (ईश्वरीय निर्णय) के अनुकूल सम्भावित चीज़ों के, एक के बाद एक, अस्तित्व से आने को क़दर कहते हैं। क़ज़ा का संबंध अनादिकाल से है और क़दर का संबंध उससे है जो निरंतर (अभी भी) जारी है।

तथा क़दर और क़ज़ा के बीच यह अंतर है कि : लौहे मट्फूज (सुरक्षित पट्टिका) में समस्त सृष्टि के एक साथ अस्तित्व को क़ज़ा कहते हैं, तथा व्यक्तिगत रूप से उनके, उन की शर्तों की पूर्ति के पश्चात, अलग अलग अस्तित्व को क़दर कहते हैं।” समाप्त हुआ।

क़ज़ा और क़दर के बीच अंतर करने वाले विद्वानों में से एक समूह का विचार उपर्युक्त विचार के विपरीत है। चुनाँचे उन्होंने क़दर को क़ज़ा से पूर्व ठहराया है, इस प्रकार उन के निकट पूर्व अनादिकालिक निर्णय को क़दर तथा सृष्टि व रचना को क़ज़ा कहेंगे।

इमाम रागिब अस्फहानी रहिमहुल्लाह “अल-मुफ्रदात” (पृष्ठ संख्या : 675) में कहते हैं : “अल्लाह तआला की क़ज़ा, क़द्र से अधिक विशेष है, क्योंकि क़ज़ा तक़दीर (भाग्यों) के बीच निर्णय करने वाली है। अतः तक़दीर (भाग्य) ही क़दर है और निर्णय व फैसला करना क़ज़ा है।

तथा कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है कि क़दर उस चीज़ की तरह है जो माप के लिए तैयार की गई है, और क़ज़ा मापने की तरह है। और इसकी पुष्टि अल्लाह तआला के इस कथन से होती है :

(وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا) :-

“यह तो ऐसी बात है जिस का निर्णय हो चुका है।” (मर्यम : 21)

और अल्लाह तआला का फरमान है :

(كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا) :-

“यह एक निश्चय पाई हुई बात है जिसे पूरा करना तेरे पालनहार पर अनिवार्य है।” (मर्यम :71)

और अल्लाह का फरमान है :

(وَقُضِيَ الْأَمْرُ) :-

“हालाँकि बात तय कर दी गई है।” (सूरतुल-बक़रा : 210) अर्थात् निर्णय हो चुका है, यह इस बात पर चेतावनी है कि वह इस तरह हो चुका है कि उसे टाला नहीं जा सकता।” समाप्त हुआ।

तथा कुछ विद्वानों ने इस विचार को चयन किया है कि अगर वे दोनों अलग अलग आएँ तो दोनों का एक ही अर्थ होगा। तथा यदि वे दोनों किसी एक वाक्य में इकट्ठे हो जाएँ तो दोनों में से प्रत्येक का अपना अपना अर्थ होगा।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं : “क़दर का शाब्दिक अर्थ: तक़दीर (अनुमान लगाना, अंदाज़ा करना) के हैं, अल्लाह तआला ने फरमाया:

{إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ}.

القمر: 49

“निश्चय ही हम ने प्रत्येक वस्तु को एक अनुमान के साथ उत्पन्न किया है।” (अल-क़मर : 49)

और अल्लाह तआला ने फरमाया :

{فَقَدَرْنَا فِيْعَمَ الْقَادِرُونَ}.

المرسلات: 23

“फिर हम ने अंदाज़ा लगाया तो हम क्या अच्छा अंदाज़ा लगाने वाले हैं।” (सूरतुल-मुर्सलात : 23)

रही बात क़ज़ा की तो इस का शाब्दिक अर्थ है : निर्णय और फैसला।

इसीलिए हम कहते हैं कि क़ज़ा और क़दर एक दूसरे के विपरीत हैं यदि वे दोनों एक साथ आएं, तथा वे दोनों पर्याय हैं अगर वे दोनों अलग अलग आएं; विद्वानों के इस कथन के अनुसार : वे दोनों दो शब्द हैं : यदि वे दोनों एकत्र होते हैं तो दोनों का अर्थ विभिन्न होता है, और यदि वे दोनों अलग अलग आते हैं तो दोनों का अर्थ समान होता है।

अतः जब कहा जाए : यह अल्लाह का क़दर है, तो यह क़ज़ा को भी शामिल है। परंतु जब वाक्य में दोनों का एक साथ उल्लेख हो, तो दोनों में से प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होगा।

चुनाँचे तक़दीर: वह है जिस को अल्लाह तआला ने अनादिकाल में अपनी मर्खलूक के बारे में अनुमानित किया है।

और क़ज़ा: वह है जिस का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी मर्खलूक के बारे में निर्णय और फैसला किया है, जैसे- किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना, या किसी चीज़ को अस्तित्वहीन करना या परिवर्तित करना। इस आधार पर तक़दीर पहले होगी।

यदि कोई कहने वाला यह कहे कि: जब हम यह कहें कि: बेशक क़ज़ा यह है जिस का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी मर्खलूक के बारे में फैसला करता है, जैसे- किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना, या अस्तित्वहीन करना या परिवर्तित करना, और जब दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हों तो क़दर उससे पहले होता है; तो यह बात अल्लाह तआला के इस फरमान :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا۔

الفرقان: 2

“और उस ने प्रत्येक वस्तु को पैदा किया फिर उसे ठीक अंदाजे पर रखा।” (अल-फुरक़ान :02) के विरूद्ध है। क्योंकि इस आयत से स्पष्ट होता है कि तकदीर पैदा करने के बाद है।

तो इसका जवाब निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक से दे सकते हैं :

- या तो हम कहेंगे कि : इस तर्तीब (क्रम) का संबंध उल्लेख और वर्णन के क्रम से है, इसका संबंध अर्थ के क्रम से नहीं है। और यहाँ पैदा करने का उल्लेख तकदीर से पहले आयतों के सिरों में पारस्परिक मिलान (समानता) के लिए किया गया है।

क्या आप नहीं देखते कि मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से अफ़्ज़ल (श्रेष्ठतर) हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत ता-हा में, आयतों के सिरों में पारस्परिक मिलान करने के लिए, जादूगरों के बारे में अल्लाह तआला के इस फरमान में हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम से पहले उल्लेख किया गया है :

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔

70: ط

“अन्ततः जादूगर सज्दे में गिर पड़े, उन्होंने कहा कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आये।) (ता-हा : 70)

इसका मतलब यह नहीं है कि जो शब्द में बाद में आने वाला है वह पद में भी पीछे है।

- या हम यह कहेंगे कि : यहाँ तकदीर ठीक-ठाक करने के अर्थ में है, यानी उसे एक निर्धारित अंदाजे पर पैदा किया। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है :

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى۔

الأعلى: 2

“जिसने पैदा किया और ठीक-ठाक किया।” (अल-आला :02) इस प्रकार तकदीर ठीक-ठाक करने के अर्थ में है।

यह अर्थ पहले के मुकाबले में अधिक निकट है, क्योंकि यह अल्लाह तआला के फरमान : (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى)। “जिस ने पैदा किया और ठीक-ठीक किया।” से पूरी तरह से मेल खाता है। इस तरह इसमें कोई समस्या नहीं है। ””शर्हुल अक्फीदतिल वास्तिया” (2/189) से समाप्त हुआ।

इस मसूला में समस्या बहुत साधारण है, और इस के पीछे कोई बड़ा लाभ भी नहीं है, तथा यह न किसी अमल से संबंधित और न ही अक्रीदा (आस्था) से। इसमें सबसे अधिक जो चीज़ है वह परिभाषा में मतभेद है, तथा कुरआन और हदीस में कोई ऐसा सबूत (प्रमाण) नहीं हैं जो इनके बीच अंतर करता हो। महत्वपूर्ण बात ईमान के स्तंभों में से इस महान स्तंभ पर ईमान लाना और उसकी पुष्टि करना है।

इमाम खत्ताबी रहिमहुल्लाह ने “मआलिमुस्सुनन” (2/323) में यह उल्लेख करने के बाद कि क़दर पूर्व तक़दीर को कहते हैं तथा क़ज़ा रचना को कहते हैं, फरमाया :“क़ज़ा व क़दर के अध्याय में मूल बात यह है कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक-दूसरे से अलग नहीं होती हैं; क्योंकि उन दोनों में से एक नींव की तरह है, और दूसरा निर्माण की तरह है। अतः जिस ने भी दोनों के बीच अंतर करने का इरादा किया तो वास्तव में उसने इमारत को गिराने और उसे ध्वस्त करने का इरादा किया।” समाप्त हुआ।

शैख अब्दुल अज़ीज़ आलुशैख से सवाल किया गया कि : क़ज़ा व क़दर के बीच क्या अंतर है?

तो शैख ने जवाब दिया :“कुछ विद्वान क़ज़ा व क़दर को बराबर क़रार देते हैं, वे कहते हैं क़ज़ा ही क़द्र है और क़द्र ही क़ज़ा है। तथा कुछ विद्वान इन दोनों के बीच अंतर करते हैं, उनका कहना है : क़दर आम (सामान्य) है और क़ज़ा खास (विशेष) है, इस तरह क़दर आम है और क़ज़ा क़दर का एक हिस्सा है।

तथा सभी पर ईमान लाना अनिवार्य है, अल्लाह ने जो कुछ अनुमानित (मुक़द्दर) किया है और अल्लाह ने जो कुछ फैसला फरमाया है कि उस पर ईमान लाना और उस की पुष्टि करना ज़रूरी है।” [इंटरनेट पर शैख की वेबसाइट](#)

से समाप्त हुआ।

शैख अब्दुर्रहमान अल-महमूद कहते हैं :“इस विवाद का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस बात पर सर्वसहमति है कि दोनों में से एक को दूसरे पर बोला जाता है... अतः उनमें से एक की परिभाषा उस चीज़ से करने में कोई बात नहीं है जिसपर दूसरा दलालत करता है।”

“अल-क़ज़ा वल क़दर फी ज़ौइल किताब वस सुन्नह” (पृष्ठ संख्या: 44) से समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।